



आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022

प्रलम्ब के लिये:

आतंकवाद के खिलाफ भारत का वार्षिक संकल्प, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल

मेन्स के लिये:

आतंकवाद में वृद्धि, संबंधित मुद्दे और इसके नरिकरण हेतु उठाए जा सकने वाले आवश्यक कदम।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद (Global Counter Terrorism Council- GCTC) द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (International Counter Terrorism Conference) 2022 का आयोजन किया गया।

- GCTC एक अंतरराष्ट्रीय थकि-टैंक काउंसिल है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों की आतंकवाद के प्रति सुभेद्यता को कम करना, आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, उनका मुकाबला करना और आतंकवाद के लिये उकसाने एवं आतंकी गतिविधियों के लिये भरती करने वालों पर मुकदमा चलाना है।
- इससे पूर्व वर्ष 2021 में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में [ब्रिक्स आतंकवाद वरिधी कार्य योजना](#) को अपनाया गया था।

प्रमुख बडि

- भारत द्वारा उठाए गए मुद्दे:
 - नए रलिजियोफोबिया (धार्मिक भय) का उदय:
 - वशिष रूप से हडिओं, बौद्धों और सखिओं के खिलाफ नए "धार्मिक भय" का उभरना गंभीर चर्चा का वषिय है और ऐसे मुद्दों पर संतुलित चर्चा हेतु इसे क्रशिचयिनोफोबिया, इस्लामोफोबिया और यहूदी-वरिधी की तरह ही पहचानने की ज़रूरत है।
 - रलिजियोफोबिया (Religiophobia): यह धर्म, धार्मिक वशिवासों, धार्मिक लोगों या धार्मिक संगठनों के प्रति विकिकहीन या आसकृतपूरण भय या चर्ता है।
 - आतंकवाद का वर्गीकरण:
 - पछिले दो वर्षों में कई सदस्य राज्य आतंकवाद को नसलीय और जातीय रूप से प्रेरित हसिक उग्रवाद, हसिक राष्ट्रवाद एवं दक्षणिपंथी उग्रवाद आदि जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रयास करते रहे हैं।
 - इसे "खतरनाक" प्रवृत्त बिताते हुए भारत ने कहा कि यह हाल ही में अपनाई गई वैश्विक आतंकवाद वरिधी रणनीति में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किये गए कुछ स्वीकृत सिद्धांतों के खिलाफ है।
 - वैश्विक आतंकवाद वरिधी रणनीति में कहा गया है कि आतंकवाद के सभी रूपों एवं अभिविकृतियों की निदा की जानी चाहिये और आतंकवाद के कसि भी कृत्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु भारत के प्रयास:
 - आतंकवाद के खिलाफ भारत का वार्षिक संकल्प:
 - आतंकवाद वरिधी मुद्दे पर भारत के वार्षिक संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की पहली समिति में सर्वसम्मति से अपनाया गया था।
 - भारत, जो कशि राज्य-प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद से पीडित रहा है, आतंकवादी समूहों द्वारा बडे पैमाने पर वनिाशकारी हथियारों के अधग्रहण से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न गंभीर खतरे को उजागर करने में सबसे आगे रहा है।
 - अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता (CCIT):
 - बढ़ती आशंकाओं के बीच कि आतंकवादी फरि से अफगानसितान में नयितरण स्थापति करेंगे और अफ्रीका में हमले तीव्र गति से होंगे, भारत के वदिश मंत्री ने हाल ही में सम्मेलन को अपनाने का आग्रह किया है।
 - वर्ष 1996 में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये एक बोधगम्य कानूनी ढाँचा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत ने UNGA को 'अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता' (Comprehensive Convention on International Terrorism-CCIT) को अपनाने का प्रस्ताव दिया था।

- CCIT आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परभाषा, वशिष कानूनों के तहत आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने, सीमा पार आतंकवाद को दुनिया भर में एक प्रत्यर्पण योग्य अपराध बनाने की मांग करता है।
- **वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF):**
 - भारत FATF का सदस्य है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता हेतु मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिये मानक निर्धारित करना तथा कानूनी, नयामक एवं परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।
- **भारत में आतंकवाद**
 - **'गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम'** भारत में लागू एक महत्वपूर्ण आतंकवाद वरोधी कानून है।
 - **राष्ट्रीय सुरक्षा गारड (NSG)** एक अर्द्ध-सैनिक बल है जो मुख्य रूप से आतंकवाद रोधी और अपहरण रोधी अभियानों हेतु उत्तरदायी है।
 - भारत को कश्मीर, उत्तर-पूर्व और कुछ हद तक पंजाब में अलगाववादियों, मध्य, पूर्व-मध्य और दक्षिण-मध्य भारत में वामपंथी चरमपंथी समूहों से आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है।
 - भारत दुनिया में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक है।

आगे की राह

- आतंकवाद के खिलाफ युद्ध एक **कम तीव्रता वाला संघर्ष** या स्थानीय युद्ध है, इसे समाज के पूर्ण एवं नरिंतर समर्थन के बिना प्रारंभ नहीं किया जा सकता है, अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिये समाज के मनोबल और संकल्प में कमी आ जाए तो आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध की तीव्रता में कमी आ सकती है।
- भारत को अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन से संबंधित कई मुद्दों पर नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, जैसे कि खुफिया तंत्र, आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन।
- सीमा सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों को बढ़ाने और इनके पूरक विकल्प तलाशने के लिये तकनीकी समाधान आवश्यक है।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/international-counter-terrorism-conference-2022>

